



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-306/2021 दिनांक 05.11.2021)

दिनांक- 05.11.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.11.2021 को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र रामनरेश कुमार सिंह साकिन घोघरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर ग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनीष कुमार सिंह पुत्र रामनरेश सिंह साकिन घोघरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री शर्मा सिंह यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. का0 निर्भय सिंह थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. का0 तुषार यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. का0 सुभम यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 11 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-08 वाहन।
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-13, व्यक्ति-39
3. आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-मु0-01 अभि0-01 बरामदगी-01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-12)

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर